न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

पीठासीन अधिकारीः— **अनिल कुमार आर.ए.एस**

प्रकरण सं. 145 /17 राजस्व वाद

दायर दिनांक :— 18.8.17

निर्णय दिनांक :— 8.4.2021

खातू पिता थावरा पिता कोदरा खराडी मीणा उम्र वयस्क निवासी सांसरपूर फला ढोलका त. झौथरी पाल जिला डूँगरपुर :— वादी

बनाम

1 सवजी पिता मावजी उर्फ मानजी पिता कोदरा खराडी मीणा
2 हीरा पिता तेजू खराडी
3 बसु पिता तेजु खराडी
4 कलजी पिता गोकल खराडी जाति समस्त मीणा प्रतिवादी सं. एक से चार मृतक श्री मावजी उर्फ मानजी पिता कोदरा के वारिस
5 शंकर पिता माना खराडी मीणा मृतक श्री सेंगा पिता कोदरा के वारिस
6 केसर बेवा नानीया उर्फ कालू खराडी मीणा
7 श्री डाया पिता नानीया उर्फ कालू खराडी मीणा
8 श्री अशोक पिता नानीया उर्फ कालू खराडी मीणा
9 श्री दिलीप पिता नानीया उर्फ कालू खराडी मीणा
10 श्रीमति तूलसी नानीया उर्फ कालू खराडी मीणा प्रतिवादी सं. 6 से लगाकर 10 मृतक नानीया उर्फ कालू पिता होमा पिता कोदरा के वारिस होकर निवासी समस्त प्रतिवादी सं. 1 से लगाकर 10 मोजा सांसरपूर त. झौथरीपाल जिला डूँगरपुर
11 श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारी तहसीलदार झौथरी पाल जिला डूँगरपुर :— प्रतिवादीगण

वाद बाबत् 188,88,90,91,92क,रा.का.अधिनियम व136 ले.रे.एक्ट

उपस्थितः— श्री नरेश जोशी वादीगण की और से

उपस्थित :— प्रतिवादी सं. 1 से 10 के खिलाफ एक तरफा तहसीलदार प्रतिवादी स्वयं

निर्णय

यह कि प्रकरण के संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद माननीय न्यायालय इस न्यायालय मे पेश किया गया है तथा वादी के वाद के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के होकर मूल पूरूष श्री कोदरा के वारिसान है, श्री कोदरा मूल पूरूष के (1) मावजी उर्फ मानजी (2)सेंगा(3)थावरा (4)कानिया उर्फ नानीया(5) होमा संताने होकर सभी का देहान्त हो गया है तथा कानिया उर्फ

08/4/2021
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

नानीया का ला– ओलाद बिना वारिस छोडे देहान्त हो गया हे।स्व. कोदरा के पूत्र मावजी उर्फ मानजी की संताने सवजी, वजा, तेजू, गोकल होकर वजा का ला ओलाद तथा तेजू व गोकल का देहान्त हो गया है। तेजू के हीरा व बसू तथा स्व. गोकल के कलजी वारिस हे।इसी प्रकार स्व. कोदरा के पूत्र सेंगा की संतान काना होकर उनका देहान्त हो चूका है तथा उनके वारिस प्रतिवादी शंकर हे।इसी प्रकार कोदरा के पूत्र थावरा का देहान्त हो चूका है जिसका वारिस पूत्र वादी खातू हे।स्व. कोदरा के अन्य पूत्र होमा का भी देहान्त हो चूका है तथा होमा के पूत्र नानीया उर्फ कालू का भी देहान्त हो चूका है तथा नानीया उर्फ कालू के वारिस प्रतिवादी केसर, डाया, अशोक,दिलीप, तूलसी है।प्रतिवादीगण अनूसूचित जनजाति के व्यक्ति है जिन पर हिन्दू विधि लागू नही होती है तथा प्रतिवादीगण जिस क्षैत्र मे रहते है वहॉ उन पर हिन्दू विधि लागू हो इस बाबत् राज्य सरकार का कोई आदेश भी नही है।आगे कथन किया कि वादी एवम् प्रतिवादीगण के पूर्वजो की कब्जे काश्त एवम् खातेदारी की भूमि ग्राम सांसरपूर फला ढोलका व ग्राम सांसरपूर मे स्थित है।ग्राम सांसरपूर ढोलका मे स्थित भूमि जिनका विवरण निम्न प्रकार है संवत् 2008 से 2011 मे आराजी नम्बर 543, 551, 553, 539, 704,708, 710,712, 714, 715, 718, 717, 719, 721,724 ,725,722 की भूमियॉ वादी एवम् प्रतिवादीगण के पूर्वज मावजी , सेंगा, थावरा , कानिया उर्फ नानीया तथा होमा के संयूक्त खाते मे दर्ज थी जिनका बन्दोबस्त पश्चात् संवत् 2019 मे 843, 864, 866, 870,1059,1060,1064,1067,1070,1073,1075,1078,1079,1080,1081, 1083,1085,1086,1087 दर्ज किये गये तथा यह भूमियॉ एक मात्र प्रतिवादीगण सवजी, हीरा, बसू, कलजी, के पूर्वज मावजी उर्फ मावजी के एक मात्र खाते दर्ज कर दी गई जिसके वर्तमान मे सवजी, हीरा, बसू, कलजी, खातेदार हे जबकि विधि अनूसार यह भूमि सेंगा ,थावरा, होमा तथा उनके वारिसान के नाम पर दर्ज होनी चाहिये थी।एसी परिस्थति मे उपरोक्त भूमियो का संवत् 2019 मे एक मात्र प्रतिवादीगण के पूर्वज मावजी उर्फ मानजी के नाम के इन्द्राज को वादी एवम् प्रतिवादी सं. 10 के विरूद्ध शून्य व प्रभावहिन घोषित किया जाकर जरिये इन्द्राज दूरस्ती खसरा नम्बर 843,864,866,870,1059,1060,1064,1067,1070,1073,1075,1078,1079, 1080,1081,1083,1085,1086,1087 का वादी एवम् प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि मे वादी का 1/4 हिस्सा , सवजी, हीरा, बसु, कलजी का 1/4 हिस्सा , शंकर का 1/4 हिस्सा तथा केसर, डाया, अशोक, दिलीप,तूलसी का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे तथा उपरोक्त नम्बरो का प्रथक खाता दर्ज किया जावे तथा कब्जा काश्त लगातार चला आना घोषित किया जावे। इसी प्रकार पूर्वज स्व.कानीया उर्फ

08/04/2024
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

नानीया तथा स्व. होमला के नाम पर मोजा सांसरपूर मे संवत् 2002 से 2011 मे भूमि आराजी नम्बर 161,172,180,181,183,184,186 दर्ज रेकार्ड थी जिसके वक्त बन्दोबस्त नम्बर परिवर्तित हूवे तथा नवीन नम्बर 183, 204, 197, 198,207,208,210,212 दर्ज किये गये जो वर्तमान मे स्व.मावजी के वारिसान प्रतिवादी सं. एक से चार तथा होमला के वारिसान प्रतिवादीगण सं. 6 से 10 के नाम दर्ज रेकार्ड है जबकि संवत् 2002 से 2011 मे अंकित खातेदार कानीया उर्फ नानीया की मृत्यू हो जाने से इस भूमि मे सेंगा व थावरा के वारिसान यानि वादी तथा प्रतिवादी शंकर का भी नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था क्योंकि स्व. कानिया उर्फ नानीया के वारिस के आधार पर स्व. मावजी उर्फ मानजी के वारिसान प्रतिवादी सं. एक से चार के नाम दर्ज किये गये थे तथा विधि अनूसार भी स्व. कानिया उर्फ नानीया के ला– ओलाद देहान्त हो जाने से उसकी संपति का उसके सभी भाईयो के मध्य संपति का बटवारा होना आवश्यक था।लेकिन कानिया उर्फ नानजी की भूमि उनके भाई मावजी के वारिसान के नाम पर दर्ज कर दी गई जबकि मावजी का नाम संवत् 2002 से 2011 की जमाबंदी मे दर्ज नही था मावजी के वारिसान का नाम कानिया उर्फ नानीया की मृत्यू के बाद विधि अनूसार वारिस होने के आधार पर दर्ज किया गया था लेकिन वादी व प्रतिवादी शंकर का नाम दर्ज नही किया गया । कानीया उर्फ नानीया की ला ओलाद मृत्यू हो जाने से कानीया उर्फ नानीया के भाईयो के समस्त वारिसान उसकी भूमि के उत्तराधिकारी होकर नाम दर्ज कराने के अधिकारी थे इसलिये आराजी नम्बर 183,204,197,198,207,208,210,212 मे 1/2हिस्सा स्व. होमा के वारिसान केसर, डाया,अशोक, दिलीप, तुलसी का नाम रखा जावे क्योकि संवत् 2002 से 2001 मे यह भुमि होमा के नाम पर थी तथा कानिया उर्फ नानीया की ला ओलाद मृत्यू हो जाने से उसके हिस्से का 1/4 भाग का वादी को 1/4 भाग का सवजी, हीरा, बसू, कलजी को 1/4 भाग का शंकर को तथा 1/4 भाग का केसर , डाया, अशोक, दिलीप , तूलसी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर नाम दर्ज किया जावे। व कब्जा काश्त लगातार चला आना घोषित किया जावे तथा स्व. कानिया उर्फ नानीया की मृत्यू हो जाने से उसके वारिस के रूप मे मावजी उर्फ मानजी के वारिसान के नाम के इन्द्राज को शून्य व प्रभावहिन घोषित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया लेकिन बावजुद तामील प्रतिवादीगण के अनुपस्थिति रहने से उनके खिलाफ एक तरफाकार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया ।

प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही होने से तनकी बनाई जानी आवश्यक नही होने से तनकीयात का निर्माण नही किया गया ।वादी की और

08/4/2024

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

से अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की गई तथा गवाह खातु, लक्ष्मण,रामजी,के शपथ पत्र प्रस्तुत किए तथा दस्तावेज जमाबंदी व तुलनात्मक प्रदर्श एक व दो है , पश्चातवर्ती जमाबंदी प्रदर्श 3 है,न्यायालय आदेश प्रदर्श 4 है,जमाबंदी प्रदर्श 5 व 6 है।तथा खतौनी बंदोस्त प्रदर्श सात है।प्रदर्शित कराए गए।

प्रकरण मे वादी द्वारा अपनी साक्ष्य बन्द की गई तथा प्रकरण मे बहस समाप्त की गई ।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद मे अंकित तथ्यों और साक्ष्य मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए साक्ष्य मे प्रदशिर्त दस्तावेजात पर इस न्यायालय का ध्यान आर्कषित किया ।

हमारे द्वारा समस्त तथ्यों तथा दस्तावेजात पर मनन किया गया ।

इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या वादी वाद मे अंकित सहायता पाने और इन्द्राज दुरस्ती का अधिकारी है।

हमारे द्वारा है ग्राम सांसरपूर ढोलका मे स्थित भूमि के दस्तावेजात को देखा गया जिनका विवरण निम्न प्रकार है संवत् 2008 से 2011 मे आराजी नम्बर 543,551,553,539,,704,708, 710,712, 714, 715, 718,717,719,721,724,725,722 की भूमियॉ वादी एवम् प्रतिवादीगण के पूर्वज मावजी , सेंगा, थावरा , कानिया उर्फ नानीया तथा होमा के संयूक्त खाते मे दर्ज थी जिनका बन्दोबस्त पश्चात् संवत् 2019 मे नम्बर 843 ,864, 866, 870, 1059, 1060, 1064, 1067, 1070, 1073,1075,1078,1079,1080,1081,1083,1085,1086,1087 दर्ज किये गये तथा यह भूमियॉ एक मात्र प्रतिवादीगण सवजी, हीरा, बसू, कलजी, के पूर्वज मावजी उर्फ मानजी के एक मात्र खाते दर्ज कर दी गई जिसके वर्तमान मे सवजी, हीरा, बसू, कलजी, खातेदार हे जबकि विधि अनूसार यह भूमि सेंगा ,थावरा, होमा तथा उनके वारिसान के नाम पर दर्ज होनी चाहिये थी।तथा उपरोक्त भूमियो का संवत् 2019 मे एक मात्र प्रतिवादीगण के पूर्वज मावजी उर्फ मानजी के नाम पर इन्द्राज हो गई जो पुर्ण रूप से गलत और विधि विरूद्ध प्रतित होता है एसी परिस्थति मे मेरे विनम्र मत मे उपरोक्त सांसपुर ढोलका मे स्थित भुमि मावजी उर्फ मानजी के नाम के इन्द्राज को वादी एवम् प्रतिवादी सं. 10 के विरूद्ध शून्य व प्रभावहिन घोषित किया जाता है तथा जरिये इन्द्राज दूरस्ती खसरा नम्बर 843, 864, 866, 870, 1059, 1060, 1064, 1067, 1070, 1073,1075,1078,1079,1080,1081,1083,1085,1086,1087 का वादी एवम् प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि मे वादी का 1/4 हिस्सा , सवजी, हीरा, बसु, कलजी का 1/4 हिस्सा , शंकर का 1/4 हिस्सा तथा केसर, डाया, अशोक, दिलीप,तूलसी का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाना उचित समझा जाता है तथा उपरोक्त नम्बरो का पृथक खाता दर्ज किया जाना उचित पाया जाता है ।

08/04/2021

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

तथा इसी प्रकार पूर्वज स्व.कानीया उर्फ नानीया तथा स्व. होमला के **नाम पर मोजा सांसरपूर** मे संवत् 2002 से 2011 मे भूमि आराजी **नम्बर** 161,172,180,181,183,184,186 दर्ज रेकार्ड थी जिसके वक्त **बन्दोबस्त** नम्बर परिवर्तित हूवे तथा नवीन नम्बर 183,204,197,198,207,208,210,212 दर्ज किये गये जो वर्तमान मे स्व. **मावजी के वारिसान** प्रतिवादी सं. एक से चार तथा होमला के **वारिसान प्रतिवादीगण** सं. 6 से 10 के नाम दर्ज रेकार्ड है जबकि **संवत्** 2002 से 2011 मे अंकित खातेदार कानीया उर्फ नानीया की **मृत्यू हो जाने से इस भूमि** मे सेंगा व थावरा के वारिसान यानि वादी **तथा प्रतिवादी शंकर का** भी नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था **क्योंकि** स्व. कानिया उर्फ नानीया के वारिस के आधार पर स्व. **मावजी** उर्फ मानजी के वारिसान प्रतिवादी सं. एक से चार के नाम **दर्ज किये गये थे** तथा विधि अनूसार भी स्व. कानिया उर्फ नानीया के ला– ओलाद देहान्त हो जाने से उसकी संपति का उसके सभी भाईयो के मध्य संपति का बटवारा होना आवश्यक था।लेकिन कानिया उर्फ नानजी की भूमि उनके भाई मावजी के वारिसान के नाम पर दर्ज कर दी गई जबकि मावजी का नाम संवत् 2002 से 2011 की जमाबंदी मे दर्ज नही था मावजी के वारिसान का नाम कानिया उर्फ नानीया की मृत्यू के बाद विधि अनूसार वारिस होने के आधार पर दर्ज किया गया था लेकिन वादी व प्रतिवादी शंकर का नाम दर्ज नही किया गया । कानीया उर्फ नानीया की ला ओलाद मृत्यू हो जाने से कानीया उर्फ नानीया के भाईयो के समस्त वारिसान उसकी भूमि के उत्तराधिकारी होकर नाम दर्ज कराने के अधिकारी थे इसलिये आराजी नम्बर 183,204,197,198,207,208,210,212 मे 1/2हिस्सा स्व. होमा के वारिसान केसर, डाया,अशोक, दिलीप, तुलसी का नाम रखा जावे क्योकि संवत् 2002 से 2011 मे यह भुमि होमा के नाम पर थी तथा कानिया उर्फ नानीया की ला ओलाद मृत्यू हो जाने से उसके हिस्से का 1/4 भाग का वादी को,1/4 भाग का सवजी, हीरा, बसू, कलजी को,1/4 भाग का शंकर को तथा 1/4 भाग का केसर , डाया, अशोक, दिलीप , तूलसी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर नाम दर्ज किया जाना उचित पाता हूॅ तथा स्व. कानिया उर्फ नानीया की मृत्यू हो जाने से उसके वारिस के रूप मे मावजी उर्फ मानजी के वारिसान के नाम के इन्द्राज को शून्य व प्रभावहिन घोषित किया जाना उचित पाता हूॅ।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर कि मौजा **सांसरपुर ढोलका** मे स्थित भुमि खसरा नम्बर 843,864,866,870,1059,1060,1064,1067,1070,1073,1075,1078,1079, 1080,1081,1083,1085,1086,1087 का वादी एवम् प्रतिवादीगण सं. 1

08/4/2021

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

से 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि मे वादी का 1/4 हिस्सा , सवजी, हीरा, बसु, कलजी का 1/4 हिस्सा , **शंकर का** 1/4 हिस्सा तथा केसर, डाया, अशोक, दिलीप,तूलसी का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाने तथा उपरोक्त नम्बरो का प्रथक खाता दर्ज किया जाने आदेश दिया जाता है तथा इसी प्रकार **मौजा सांसरपुर** मे स्थित भुमि आराजी नम्बर 183,204,197,198,207,208,210,212 मे 1/2हिस्सा स्व. होमा के वारिसान केसर, डाया,अशोक, दिलीप, तुलसी का नाम रखे जाने तथा कानिया उर्फ नानीया की ला ओलाद मृत्यू हो जाने से उसके हिस्से का 1/4 भाग का वादी को 1/4 भाग का सवजी, हीरा, बसू, कलजी को 1/4 भाग का शंकर को तथा 1/4 भाग का केसर , डाया, अशोक, दिलीप , तूलसी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर नाम दर्ज किए जाने आदेश प्रदान किया जाता है।डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जाए।

(अनिल कुमार) 08/4/2021
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 08.04.21 को खूले न्यायालय मे सूनाया गया

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा 08/04/2021

डिकरी व मूकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जा.दी.)

अज अदालत उपखण्ड न्यायालय सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान

बइजलास उपखण्ड न्यायालय सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान

खातु बनाम सवजी आदि

दावा बाबत् 188,88,90,91,92क,रा.का.अधिनियम व136 ले.रे.एक्ट

मूकदमा नम्बर 51/13 राजस्व वाद

यह मूकदमा आज वास्ते इमफिसाल कतई रू–ब–रू पक्षकारान् बहाजरी वकील श्री नरेश जोशी मिनजानिब मूदई व एक तरफा ....एडवोकेट मिनजानिब गूदायलाह पेश होकर हूक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती हे कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है मौजा **सांसरपुर ढोलका** मे स्थित भुमि खसरा नम्बर 843,864,866,870,1059,1060,1064,1067,1070,1073,1075,1078,1079,1080,1081,1083,1085,1086,1087 का वादी एवम् प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि मे वादी का 1/4 हिस्सा , सवजी, हीरा, बसु, कलजी का 1/4 हिस्सा , शंकर का 1/4 हिस्सा तथा केसर, डाया, अशोक, दिलीप,तूलसी का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाने तथा उपरोक्त नम्बरो का प्रथक खाता दर्ज किया जाने आदेश दिया जाता है तथा इसी प्रकार **मौजा सांसरपुर** मे स्थित भुमि आराजी नम्बर 183,204,197,198,207,208,210,212 मे 1/2हिस्सा स्व. होमा के वारिसान केसर, डाया,अशोक, दिलीप, तुलसी का नाम रखे जाने तथा कानिया उर्फ नानीया की ला ओलाद मृत्यू हो जाने से उसके हिस्से का 1/4 भाग का वादी को 1/4 भाग का सवजी, हीरा, बसू, कलजी को 1/4 भाग का शंकर को तथा 1/4 भाग का केसर , डाया, अशोक, दिलीप , तूलसी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर नाम दर्ज किए जाने आदेश प्रदान किया जाता है।डिकी पर्चा मुर्तिब किया जाए।

खर्चा इस मूकदमा के मय सूद व शरह दोनो पक्ष अपना अपना वहन करेगें।

मेरे दस्तखत व मूहर अदालत के आज तारीख 8.4.2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

मूहर

स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प बकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	महनताना वकील
स्टाम्प वजह सबूत	खर्चा गवाहान
महनताना वकील	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बबात् इजराय हूक्मनामा
फीस कमिश्नर	मूतफरिक
बाबत् इजराय हूक्मनामा	
मूतफरिक	

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा